फोन नं. – 07482–222128
E-mail- dmraisen@nic.in

कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन (म.प्र.)

क्रमांक / 5072 / स्थापना / 2019 रायसेन दिनांक 23-9-19

:: विज्ञप्ति ::

म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–2 / 10 / 2012 / सात / 4–ए दिनांक 09.08.2017 एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–10 / 2012 / सात / 4 दिनांक 04.01.2019 के परिपेक्ष्य में लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु जिला रायसेन के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों / तहसील कार्यालयों में निम्न अनुसार वर्गवार रिक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों की संविदा आधार पर 01 वर्ष के लिये पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अभ्यार्थियों के चयन किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है :–

पद का नाम	मानदेय	कुल पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
कार्यालय सहायक सह डाटा इन्ट्री आप्रेटर	22770.00 प्रतिमाह	06	03	01	01	01

भर्ती से संबंधित विस्तृत विवरण **www.mponline.gov.in** पर एवं रायसेन जिले की बेवसाइट **www.raisen.nic.in** पर देखा जा सकता है ।

(उमाशंकर भार्गव)
कलेक्टर
जिला रायसेन

पृ. क्रमांक / 5072 / स्थापना / 2019 रायसेन दिनांक 23-9-19

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत रायसेन ।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी रायसेन की ओर प्रेषित । कृपया विज्ञप्ति एवं भर्ती से संबंधित शर्तें एन.आई.सी. की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

3– सहायक संचालक जन सम्पर्क जिला रायसेन । कृपया विज्ञप्ति कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित करायी जाना सुनिश्चित करे । प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ।

4– श्री गौरव भटनागर जिला समन्वयक एम.पी. ऑनलाईन जिला रायसेन ।

5– जमादार माल, जिला कार्यालय रायसेन ।

की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर चस्पा करने संबंधी रिपोर्ट सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

कलेक्टर
जिला रायसेन

5198
14/08/17

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक एफ–2/10/2012/सात/4–ए भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 2017

प्रति,

प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
संभागीय आयुक्त (समस्त)
कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायसेन (म.प्र.)
10 AUG 2017

विषय : लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी कियान्वयन के लिए कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के पदों की पूर्ति के संबंध में ।

संदर्भ : विभाग का परिपत्र कमांक एफ–2/10/2012/सात/4–ए भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विभाग के परिपत्र कमांक एफ 2–10/2012/सात/4–ए दिनांक 04 मार्च, 2014 (परिशिष्ट–1) द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी कियान्वयन के लिए प्रत्येक तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु एक–एक तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु चार कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के पद संविदा आधार पर 10,000 रू. प्रतिमाह के मानदेय पर स्वीकृत किए गए हैं ।

2. राजस्व विभाग के संदर्भित परिपत्र कमांक एफ–2/ 10/ 2012 / सात/4–ए भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 (परिशिष्ट–2) द्वारा उक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए थे। कई जिलों में उक्त निर्देशों के अनुसार डाटा एंट्री आपरेटर के कुछ पदों को भरा जा चुका है। किन्तु अब भी कई जिलों में पद रिक्त है, जिन्हे भरने के सम्बन्ध में समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

03. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र कमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015 (परिशिष्ट–3) की कंडिका (V) अनुसार कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर भरती के लिए **CPCT** परीक्षा के माध्यम से हाई **Score Card** धारित करना पर्याप्त होगा।

04. अतः राजस्व विभाग द्वारा भर्ती के संबंध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2014 को अधिकमित करते हुए शेष रिक्त पदों की पूर्ति विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा, संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त तथा जिला, अनुविभाग एवं तहसील स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निम्न वर्णित प्रकिया अनुसार की जाएगी।

05. इन रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मैप आईटी **(MAP-IT)** द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(CPCT)** में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

06. संबंधित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त अथवा कलेक्टर) द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में स्वीकृत पदों हेतु आरक्षण रोस्टर अनुसार आरक्षण निर्धारित कर, विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगें।

07. प्राप्त आवेदनों को उनके CPCT स्कोरकार्ड अनुसार विभिन्न वर्ग वार पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् मेरिट सूची अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँगें।

08. संविदा नियुक्ति हेतु संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट–4) अनुसार अनुबंध किया जाएगा। पूर्व निर्देशों के अंतर्गत किए गए संविदा नियुक्तियों में भी संविदा की वार्षिक समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त संविदा नवीनीकरण, संलग्न अनुबंध प्रारूप अनुसार ही किया जाए।

09. उपरोक्त निर्देशानुसार शेष रिक्त पदों की पूर्ति दिनांक 30 सितम्वर 2017 तक कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न :–

1. परिशिष्ट–1– राजस्व विभाग का परिपत्र क.एफ 2–10/2012/सात/4–ए दिनांक 04/03/14.
2. परिशिष्ट–2– राजस्व विभाग का परिपत्र क0 एफ–2/10/2012/ सात/4–ए, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2014
3. परिशिष्ट–3– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3–15/ 2014/1/3 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015
4. परिशिष्ट–4– संविदा अनुबंध का प्रारूप।
5. परिशिष्ट–5– संविदा नियुक्ति के शैक्षणिक/व्यवहारिक/तकनीकी योग्यता/संविदा नियुक्ति के सामान्य शर्ते।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक एफ–2/10/2012/सात/4–ए भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
4. विशेष सहायक, मान. राजस्व मंत्री जी, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल।
5. गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

परिशिष्ट-5

कार्यालय सहायक–सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) पद हेतु शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी यौग्यता

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजों की स्केनिंग।
4. एम.एस.–ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।
5. शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
6. एक वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा।
7. न्यूनतम तकनीकी योग्यता C.P.C.T. परीक्षा उत्तीर्ण।

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते

संविदा अवधिः–

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैद्य होगी।
2. 1.1.2017 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत् कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मानदेय/पारिश्रमिकः–

4. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 10,000/– मात्र देय होगी।

5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश :–

7. वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश का उपभोग जिला, कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

ई.पी.एफ. कटौत्राः–

8. ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

अन्य :–

9. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।

10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनकों कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकें। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगें।

13. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

14. मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

15. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एवं माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

परिशिष्ट-4

//अनुबंध//

मैं.. पिता/पति..पद कार्यालय सहायक सह डाटाएण्ट्री ऑपरेटर, पदस्थापना स्थान–...................दिनांक............ को कार्यालय प्रमुख .... के पक्ष में निम्नानुसार करारनामा करता हूँ। प्रस्तुत करारनामा दिनांक .... से................. तक के लिये लागू रहेगा।

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के 07 दिवस की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. संविदा पर नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

5. संविदा अवधि पूर्ण हाने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिये पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।

6. कार्यालय सहायक सह डाटाएण्ट्री ऑपरेटर को संविदा अवधि के दौरान 10,000/– प्रतिमाह एकमुश्त वेतन दिया जायेगा। मंहगाई एंव अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।

7. वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर एक वर्ष के लिये पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।

8. एक वर्ष के पश्चात् आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि करने या नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा।

9. ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

10. (क) आकस्मिक अवकाश— संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

(ख) चिकित्सा अवकाश— संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सकीय अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ग) सभी प्रकार के अवकाश उपभोग कार्यालय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने पर/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

11. नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

12. उक्त पद पर कार्यरत् कर्मचारी का जॉब चार्ट कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय—समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

13. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी समक्ष अधिकारी पूर्वानुगति/निर्देश के कोई सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभागों को किसी भी माध्यम से नहीं होगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओं स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रूपये 250/— तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक

अर्थदण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

15. चयनित उम्मीदवार उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो बिना कारण बतायें नियुक्ति रद्द कर दी जायेंगी।

16. संविदा पर नियुक्त के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि पात्रता होगी।

17. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटाएण्ट्री ऑपरेटर भविष्य में नियमितिकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

18. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक को एक माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

19. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख
प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर संविदा कर्मचारी
द्वितीय पक्षकार

कार्यालय कलेक्टर, जिला-[illegible]
शाखा [illegible]
कलेक्टर [illegible] अधीक्षक/सहा. अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग 08 JAN 2018
मंत्रालय भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 4 /01/2019

क्रमांक एफ 2-10/2012/सात/4- मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-10/2012/सात-4 दिनांक 04 मार्च 2014 अनुसार प्रत्येक तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु एक-एक तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु चार, कुल 876 कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री आपरेटरों के संविदा पदों का सृजन कर इन पदों पर संविदा नियुक्ति की गई है।

2/- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये गए है। परिपत्र की कंडिका 1.14.5 में प्रावधानित है कि – संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाऐ।

3/- कंडिका-2 में उल्लेखित राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत 876 कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर लिपिकीय संवर्ग संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत तालिका में दर्शित काँलम-(5) अनुसार संविदा मासिक मानदेय स्वीकृत्त किया जाता है।

क्र.	संविदा पदनाम	भर्ती नियमों में समकक्ष पद का प्रावधानित नियमित वेतनमान	वर्तमान में प्रचलित सातवें वेतनमान में न्यूनतम मासिक वेतन	सा.प्र.वि. द्वारा जारी परिपत्र दि. 05.06.18 की कंडिका 1.14.5 अनुसार न्यूनतम का 90 प्रतिशत (मासिक परिश्रमिक/संविदा मानदेय)
1	2	3	4	5
1.	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री आपरेटर	5200-20200+2400 (सातवें वेतनमान में लेवल 6)	25300/-	22770/-

4/- उपरोक्तानुसार कंडिका-1 अनुसार मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित संविदा पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 में प्रावधानित निर्देशों के तहत शासित होंगे तथा कंडिका-3 अनुसार स्वीकृत संविदा वेतन, 01/12/2018 (दिसम्बर माह का मानदेय जो जनवरी माह में देय है) से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुप कुमार गुप्ता
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ.क्र. एफ 2-10/2012/सात/4
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/01/2019

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी राजस्व विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त, 220 राहत भावन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर ,मध्यप्रदेश।
7. समस्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. गार्ड फाईल।

5-1-19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग